राजस्थान उच्च न्यायालय
जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9441/2015

प्रदीप शर्मा पुत्र श्री गंगा शंकर शर्मा, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी गुंडी का मोहल्ला, जोधपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, विधि एवं विधिक मामले विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. विधि सचिव, विधि एवं विधिक मामले विभाग, राजस्थान सरकार, निदेशालय, जयपुर।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री अंकुर माथुर
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री रवि भंसाली वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विपुल धारिया द्वारा सहायता प्रदान की गई

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

<u>16/01/2025</u>

1. याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण को उचित निर्देश देने की मांग की है कि वे उसकी सेवाओं को आशुलिपिक के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख अर्थात 20.10.1997 से नियमित करें, जिसमें समस्त पारिणामिक लाभ, उचित वेतन निर्धारण और प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से आनुषंगिक लाभों का प्रावधान सम्मिलित है।

2. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि प्रतिवादीगण ने अपर राजकीय अधिवक्ता, जोधपुर के कार्यालय हेतु आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। याचिकाकर्ता ने पात्र होने के कारण इसके लिए आवेदन किया।

2.1 प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.10.1997 के एक आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को उक्त पद पर संविदात्मक आधार पर नियुक्त किया। याचिकाकर्ता जोधपुर स्थित राजकीय अधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता के कार्यालय में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा। तत्पश्चात, दिनांक 02.11.1999 के एक आदेश द्वारा प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ता को सेवा में अस्थायी दर्जा प्रदान किया। याचिकाकर्ता का वेतन ₹5,000-150-8,000/- के वेतन बैंड में निर्धारित किया गया। अस्थायी दर्जा प्रदान करने वाले आदेश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने 02.11.1999 को आशुलिपिक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

2.2 याचिकाकर्ता को अस्थायी दर्जा प्रदान करने के पश्चात, प्रतिवादीगण ने दिनांक 21.05.2000 के आदेश द्वारा स्थापना शाखा को आशुलिपिक के रूप में याचिकाकर्ता की सेवाओं के संबंध में एक सेवा पुस्तिका संधारित करने का निर्देश दिया।

2.3. यह प्रस्तुत किया गया है कि एक समान स्थिति वाले कर्मचारी सत्येन्द्र कुमार शर्मा, जो राजकीय अधिवक्ता, जयपुर के कार्यालय में आशुलिपिक के रूप में कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, को 1957 के नियमों के नियम 7(8ए) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 25.06.2004 द्वारा आशुलिपिक के पद पर नियमित किया गया था।

2.4 तत्पश्चात, प्रतिवादीगण ने आदेश दिनांक 23.09.2011 द्वारा राजकीय अधिवक्ता के कार्यालय में अस्थायी आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित कर दिया।

2.5. सरकारी अधिवक्ता ने दिनांक 08.12.2011 की अनुशंसा के माध्यम से प्रतिवादी प्राधिकारियों से याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित करने तथा उसे वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया था।

2.6. दिनांक 02.03.2012 को एक पत्र द्वारा प्रतिवादीगण ने राजकीय अधिवक्ता, जोधपुर के कार्यालय को सूचित किया कि याचिकाकर्ता को उनके पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संविदात्मक आधार पर आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था।

2.7. दिनांक 28.03.2012 को राजकीय अधिवक्ता, जोधपुर के कार्यालय द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता पूर्णतः पात्र है तथा वह नियमित दर्जा दिए जाने का हकदार है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला।

2.8 इसके बाद याचिकाकर्ता ने दिनांक 08.12.2011 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादीगण से 1957 के नियमों के नियम 7 के अनुसार उसकी सेवाओं को नियमित करने का अनुरोध किया गया। उसने उल्लेख किया कि 08.09.2011 तक उसकी आयु 40 वर्ष हो चुकी थी और उसने उच्च माध्यमिक परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी टंकण और अंग्रेजी आशुलिपि भी उत्तीर्ण कर ली थी।

2.9. प्रतिवादीगण ने दिनांक 06.08.2013 के एक आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को 3600 रुपये के ग्रेड पे के साथ 9300- 34800 रुपये के वेतनमान में रखा और उसका वेतन 12,900 रुपये निर्धारित किया। याचिकाकर्ता 1997 से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, लेकिन उसे आज तक नियमित नहीं किया गया है। इसलिए, यह याचिका।

3. प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रत्युत्तर में लिया गया बचाव यह है कि:

3.1 याचिकाकर्ता की नियुक्ति पूर्णतः संविदात्मक आधार पर की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता को इस पद पर नियमित किये जाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त होता है।

3.2. यह प्रस्तुत किया जाता है कि आदेश दिनांक 23.09.2011 द्वारा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की सेवाओं को नियमित किया गया था जिन्होंने वर्ष 2006 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी। हालाँकि, याचिकाकर्ता को 20.10.1997 को पूर्णतः संविदात्मक आधार पर नियुक्त किया गया था और इस प्रकार, उसने 2006 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा मामले की पत्रावली का अवलोकन किया है।

5. शुरुआत में ही यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता की सेवाएँ वर्ष 1997 में किसी समय संविदात्मक आधार पर ली गई थीं और तब से वह बिना किसी सेवा भंग के, निरंतर आशुलिपिक के रूप में कार्यरत हैं। तत्पश्चात, यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता को संविदा के बजाय अस्थायी सेवाओं में रखकर थोड़ा बेहतर दर्जा दिया गया था।

6. जहाँ तक नियम 7, उप-नियम 8(ए) का संबंध है, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि किसी पदधारी को रिक्त पद की उपलब्धता के अधीन 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही आशुलिपिक के पद पर नियमित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पदधारी को हिंदी आशुलिपि एवं टंकण या अंग्रेजी आशुलिपि एवं टंकण में गति परीक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, जो उच्च माध्यमिक या वरिष्ठ उच्च माध्यमिक परीक्षा के मानकों के अनुरूप हो। महाधिवक्ता कार्यालय के पत्र/डी.ओ. दिनांक 28.03.2012 के अनुसार, याचिकाकर्ता नियमितीकरण हेतु आवश्यक पात्रताएँ पूरी करता है।

7. न्यायालय के एक प्रश्न पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, दोनों इस बात पर एकमत है कि याचिकाकर्ता का मामला, हर दृष्टि से, रिट याचिका संख्या 10332/2018 के याचिकाकर्ताओं के समान है, जिसके मामले में इस न्यायालय की विद्वान एकल पीठ ने प्रतिवादीगण को नियमितीकरण के लिए उनके मामले पर

विचार करने हेतु कुछ निर्देश जारी किए थे। हालाँकि, निश्चित रूप से, याचिकाकर्ता द्वारा एक खंडपीठ के समक्ष दायर की गई एक अंतर-न्यायालय अपील, जिसमें कहा गया था कि याचिका प्रतिवादीगण को निर्देश जारी करने के बजाय, उन्हें तुरंत नियमित करने का निर्देश देकर स्वीकार की जानी चाहिए थी, खारिज कर दी गई।

8. प्रतिवादीगण का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता से न्यायालय के एक अन्य प्रश्न पर कि याचिकाकर्ता के मामले पर नियमितीकरण के लिए विचार क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि उसने 28 साल की सेवा की है। यह तथ्य कि उसकी सेवा अवधि निर्बाध है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जिस नौकरी के लिए याचिकाकर्ता को काम पर रखा गया है उसकी आवश्यकता प्रकृति में स्थायी है। यह कोई अल्पकालिक व्यवस्था नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पूर्व में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया गया था ताकि सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में नियमितीकरण के लिए विचार किया जा सके, लेकिन संबंधित समय पर उसने अपेक्षित वर्षों की सेवा पूर्ण नहीं की थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि, चूंकि अब याचिकाकर्ता नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने के योग्य है, इसलिए उसके मामले को प्राथमिकता पर लिया जाएगा और यथासंभव शीघ्र उचित आदेश पारित किए जाएंगे।

9. उपरोक्त स्पष्ट रुख के आलोक में, मेरा यह मत है कि किसी भी प्रतिकूल मार्ग को अपनाने के बजाय यह अधिक उचित होगा कि रिट याचिका को सक्षम प्राधिकारी को प्रशासनिक स्तर पर याचिकाकर्ता के मामले पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ निस्तारित किया जाए। यदि उसके समकक्षों को नियमितीकरण का लाभ प्रदान किया गया है तो उससे भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि उसे आगे कोई मानसिक कष्ट न हो। इस आदेश के वेब-प्रिंट की प्राप्ति की तिथि से चार महीने के भीतर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित किए जाते हैं।

(अरुण मोंगा),जे

114-एके चौहान/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate